न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

प्रा0पत्र संख्या 3/2017
तारिख दायरा 2.1.2017

उनवान

1.कजोड पुत्र बोदूराम जाति गुर्जर निवासी नयाटीला तह0 पीपलू जिला टोंक कुल कस 4

प्रार्थीगण

बनाम

1.धासी पुत्र रामचन्द्रा जाति गुर्जर निवासी नयाटीला तहसील पीपलू जिला टोंक कुल 4 कस

प्रतिपक्षीगण

वाद बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अ0धारा 212 आर0टि0 एक्ट

तारिख फैसला 3.1.2018

प्रार्थी अधिवक्ता :– चतुर्भूज गुर्जर
अप्रार्थी अधिवक्ता :–नन्दकिशोर शर्मा गुर्जर

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सारांश में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वकील प्रार्थी ने मय दावा प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि अराजी ख0न0 254 रकबा 09 बिस्वा वाके ग्राम नयाटीला तहसील पीपलू में स्थित है तथा उक्त वर्णित अराजीयात में प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। लेकिन प्रतिवादीगण बिना किसी वेधानिक अधिकार के उक्त भूमि को पर प्रार्थीगण को उपयोग – उपभोग करने एवं जबरदस्ती प्रार्थीगण की भूमि में रास्ता निकालने पर व झगडा करने पर अमादा है जिसका उनको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ विशेष आपत्तियॉ पेश की है कि उपरोक्त आराजीयात भूमि 1998 में रोड बनायी जा चुकी है तब से लेकर आज भी उक्त वर्णित भूमि पर से लोग आते जाते है । प्रतिवादीगण के पूर्वजो से ही पक्का मकान बना चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र में तथ्य पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का पूर्व में कभी भी न तो कब्जा था न ही वर्तमान मे हैं। ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारहीन विधिहीन होने से खारिज किया जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण सुनी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दोराने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए रेकार्डेड खातेदार होना व सुविधा का संतुलन होना प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक प्रतिपक्षी को पाबन्द करने का निवेदन कियां। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ विशेष आपत्तियॉ पेश की है कि उपरोक्त आराजीयात भूमि में तथ्य पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं होना एवं प्रार्थीगण का पूर्व में कभी भी न तो कब्जा था न ही वर्तमान मे हैं। ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारहीन विधिहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब, बहस एवं जमाबन्दी सम्वत् जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में खाता सख्या 14 की आराजी ख0न0 254 रकबा 09 बिस्वा वाके ग्राम नयाटीला तहसील पीपलू का अवलोकन किया जिसमें उक्त वर्णित अराजीयात में प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार होना सिद्व है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र में सुविधा का संन्तुलन एवं प्रथम दृष्या केस प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के फैसला तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नही करे ।

निर्णय आज 3.1.2018 को सरे इजलाश सुनाया गया

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी पीपलू